बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

पत्रांक-5/आ01-103/2016- 700 पटना, दिनांक- 1.9.16

श्री अशोक कुमार जायसवाल, तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सेवानिवृत) द्वारा श्री कमल किशोर शर्मा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध निविदा आवंटन में धांधली एवं मनमानी करने से संबंधित वित्तीय मामले की जांच लंबित रखते हुए सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाने, विभाग द्वारा दिये गये निर्देश एवं तदुपरांत बार-बार स्मारित किये जाने के बावजुद जांच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने का मामला सरकार के संज्ञान में आया।

(2) मामले की सम्यक् समीक्षा की गई एवं श्री जायसवाल के विरूद्ध उक्त आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त उनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(3) वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री जायसवाल के विरूद्ध अभिकथित आरोपों के लिए बिहार राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री जायसवाल के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार राज्यपाल विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं श्री अजय कुमार सिन्हा, विशेष पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

(4) आरोपित श्री जायसवाल, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो विभागीय जांच आयुक्त, बिहार इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप प्रपत्र 'क' में उल्लेखित आरोपों के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

(5) विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत जांच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ श्री अशोक कुमार जायसवाल, तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सेवानिवृत) पता-फ्लैट नं0-301, रामेश्वर अपार्टमेंट, मंडल कम्पाउन्ड, बोरिंग रोड, पटना, जांच संचालन पदाधिकारी, विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री अजय कुमार सिन्हा, विशेष पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1.9.16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ01-103/2016- 700 पटना, दिनांक- 1.9.16

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र की प्रति के साथ विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना/ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री अजय कुमार सिन्हा, विशेष पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अशोक कुमार जायसवाल, तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सेवानिवृत) पता-फ्लैट नं0-301, रामेश्वर अपार्टमेंट, मंडल कम्पाउन्ड, बोरिंग रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.9.16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ01-103/2016- 700 पटना, दिनांक- 1.9.16

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी-1/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.9.16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आरोप प्रपत्र 'क'

आरोपित पदाधिकारी का नाम	–	श्री अशोक कुमार जायसवाल
पदनाम	–	सेवानिवृत क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर।
वेतनमान	–	37,400–67,000/– (ग्रेड पे–8900/–)
प्रथम नियुक्ति की तिथि	–	19.09.1979
जन्म तिथि	–	01.11.1954
सेवानिवृत्ति की तिथि	–	31.10.2014
आरोप का वर्ष	–	वर्ष 2014 – 2015
स्थायी पता	–	फ्लैट–301, रामेश्वर अपार्टमेंट, मंडल कम्पाउण्ड, बोरिंग रोड, पटना।

आरोप

श्री राजाराम शंकर, मधुबनी द्वारा श्री कमल किशोर शर्मा, तत्कालीन अधीक्षण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्व निविदा आवंटन में धांधली एवं मनमानी करने का आरोप लगाया गया, तत्पश्चात् विभाग द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उक्त परिवाद में लगाये गये आरोपों के जांच हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया।

उक्त त्रिसदस्यीय समिति के दो सदस्य संयुक्त सचिव (प्र0को0) एवं विशेष पदाधिकारी के उपस्थित नहीं होने के कारण श्री लाल बहादुर सिंह, तत्कालीन मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर द्वारा अकेले ही आरोपों की जांच करते हुए अपने पत्रांक–1153, दिनांक–29.12.2012 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त जांच प्रतिवेदन को विभागीय समीक्षोपरांत विचार योग्य नहीं माना गया। फलतः विभागीय आदेश –सह–पठित ज्ञापांक संख्या–707, दिनांक–19.12.2012 द्वारा उक्त त्रिसदस्यीय समिति का पुर्नगठन करते जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुनः उक्त समिति का विभागीय आदेश –सह–पठित ज्ञापांक संख्या–239, दिनांक–31.05.2013 द्वारा पुर्नगठन किया गया। इस बीच समिति के एक सदस्य अपने पद से सेवानिवृत हो गये। इस आलोक में विभागीय प्रधान सचिव के निदेशानुसार विभागीय पत्रांक–328, दिनांक–13.03.2014 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्व लगाये गये आरोपों की जांच एक पक्ष के भीतर आपसे कराते हुए मंतव्य सहित जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

उक्त जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक–476, दिनांक–30.05.2014, विभागीय पत्रांक–603, दिनांक–04.07.2014, विभागीय पत्रांक–659, दिनांक–05.08.2014 एवं विभागीय पत्रांक–719, दिनांक–08.09.2014 द्वारा आपको स्मारित किया गया, इसके बावजूद भी आपके द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

जांच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने पर विभागीय पत्रांक–797, दिनांक–09.10.2014, विभागीय पत्रांक–879, दिनांक–19.11.2014 एवं विभागीय पत्रांक–260, दिनांक–31.03.2015 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण पूछा गया, परंतु आपके द्वारा स्पष्टीकरण भी विभाग में समर्पित नहीं किया गया।

उपर्युक्त कृत से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा श्री राजाराम शंकर, मधुबनी द्वारा श्री कमल किशोर शर्मा, तत्कालीन अधीक्षण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्व निविदा आवंटन में धांधली एवं मनमानी करने से संबंधित वित्तीय मामले को कई महीनों तक लंबित रख कर सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाई गयी एवं श्री के0के0 शर्मा, तत्कालीन अधीक्षण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा (सम्प्रति सेवानिवृत) को बचाने का कुत्सित प्रयास किया गया है। इस प्रकार सरकारी सेवक के रूप में कर्तव्य के प्रति आपके द्वारा उदासीनता, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतते हुए निविदा निष्पादन जैसे वित्तीय मामलों पर ध्यान नहीं दिया गया।

1.9.16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव।

साक्ष्य

(i) विभागीय पत्रांक–328, दिनांक–13.03.2014 (ii) विभागीय पत्रांक–476, दिनांक–30.05.2014, (iii) विभागीय पत्रांक–603, दिनांक–04.07.2014, (iv) विभागीय पत्रांक–659, दिनांक–05.08.2014 (v) विभागीय पत्रांक–719, दिनांक–08.09.2014 (vi) विभागीय पत्रांक–797, दिनांक–09.10.2014 (vii) विभागीय पत्रांक–879, दिनांक–19.11.2014 एवं (viii) विभागीय पत्रांक–260, दिनांक–31.03.2015

(सभी पत्रों की छायाप्रति संलग्न)

1.9.16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव।